



कार्यालय जिला पंचायत-मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक / 3188 / जिपं. / PMAY(G) / आ.मि.भ. / 2024-25

मुंगेली, दिनांक 28 / 08 / 2024

प्रेस-विज्ञप्ति

संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/891/27/नवा रायपुर दिनांक 30.07.2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली में दिनांक 16.09.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 16.09.2024 तक प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। योजनान्तर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला मुंगेली के वेब-साईट <https://mungeli.gov.in> पर देखा जा सकता है। तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत मुंगेली

पृ. क्रमांक / 3189 / जिपं. / PMAY(G) / आ.मि.भ. / 2024-25
प्रतिलिपि,

मुंगेली, दिनांक 28 / 08 / 2024

01. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर जिला मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी.) जिला मुंगेली को उपरोक्त विज्ञापन/आवेदन को जिले के अधिकारिक वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
04. जनसूचना अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय जिला मुंगेली को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी/मुंगेली/पथरिया को जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत मुंगेली

:: विज्ञप्ति सूचना ::

संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/891/27/नवा रायपुर दिनांक 30.07.2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मुंगेली जिले में हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली में दिनांक 16.09.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 16.09.2024 तक प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अतः इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार से एतद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

आवेदन की प्रक्रिया:-

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार से रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 16 सितम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.) पिनकोड - 495334 में प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप :-

आवेदन का निर्धारित प्रारूप जिले के वेबसाइट <https://mungeli.gov.in> में प्राप्त की जा सकती है साथ ही कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.) के सूचना बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

नियम एवं शर्तें:-

1. क्लस्टर निर्माण:-

जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण पश्चात् प्रत्येक समूह में 01 "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" रखा जाना है। यथा संभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा। कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जावेगा। आवेदन करने हेतु क्लस्टर की सूची जिले के वेबसाइट <https://mungeli.gov.in> में प्राप्त की जा सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

01. बी.ई./डिप्लोमा/12वीं/उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् शेष अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
02. "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
03. चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्ति किया जायेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जावेगी।

04. "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व सहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं।

3. चयन का आधार:-

अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंको के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार **Weightage** दी जावेगी।

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण – न्यूनतम 65 अंक।
2. बी.ई./डिप्लोमा/एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण – 15 अंक।
3. पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक।
4. बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) – 10 अंक।
5. महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक
(जो भी आवास मित्र/बी.एफ.टी./एस.एच.जी. सदस्य/बैंक सखी को निकाला गया है उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।)
6. वांछित योग्यताएँ एवं अनुभव विज्ञापन जारी दिनांक के पूर्व का ही मान्य होगा।

4. अपात्रता का कारण:-

1. निर्धारित समय-सीमा में योग्यता पूर्ण नहीं होने पर।
2. आवेदन पूर्ण रूप से नहीं भरे होने पर।
3. आवेदन में हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ्स नहीं होने पर।
4. समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने पर।
5. निर्धारित आयु सीमा से बाहर होने पर।
6. आवेदन समय-सीमा में प्राप्त नहीं होने पर।

5. आवेदन:-

जिला पंचायत मुंगेली को आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के उपर जनपद पंचायत का नाम अवश्य लिखना होगा।

6. आयु:-

"समर्पित मानव संसाधन" हेतु 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

7. चयन समिति:-

जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कैलेंडर में "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में ली जावेगी।

8. प्रोत्साहन राशि:- "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी:-
1. "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 2. "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
 3. 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन जिओ टैगिंग, स्वीकृति प्रथम किश्त जारी तथा ले आउट होने के पश्चात्।
 4. 300 रुपये प्रति आवास जिओ टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
 5. 400 रुपये प्रति आवास पूर्णता, जिओ टैगिंग प्लास्टर पोताई, खिड़की दरवाजा नाम लिखाई एवं लोगो पूर्ण होने के पश्चात् फोटो सहित पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
9. राशि का भुगतान:-
"समर्पित मानव संसाधन" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत 1.7 % Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।
10. समयावधि:-
"समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
11. अवधि की गणना:-
"समर्पित मानव संसाधन" के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी। समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
12. जॉबचार्ट:-
1. हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
 2. 12 माह की समय-सीमा में आवास पूर्ण कराना।
 3. आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
 4. हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
 5. आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entry सुनिश्चित कराना।
13. विशेष:-
1. चयनित "समर्पित मानव संसाधन" प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 2. जनपद पंचायत क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया जाना है जिला एवं जनपदों के नोटिस बोर्ड पर नाम अवलोकन कर सकते हैं।
 3. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

14. संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. हाईस्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. एम.ए. (ग्रामीण विकास)
4. बी.ई./डिप्लोमा
4. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र
7. जाति प्रमाण पत्र
8. छ.ग. निवास प्रमाण पत्र
9. आधारकार्ड
10. मतदाता परिचय पत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मुंगेली

पृ. क्रमांक / 3191 / जिपं. / PMAY(G) / आ.मि.भ. / 2024-25 मुंगेली, दिनांक 28/08/2024
प्रतिलिपि,

01. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी.) जिला मुंगेली को उपरोक्त विज्ञापन/आवेदन को जिले के अधिकारिक वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
04. जनसूचना अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय जिला मुंगेली को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी/मुंगेली/पथरिया को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
06. कार्यालय सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मुंगेली

08. आधारकार्ड नंबर (छायाप्रति संलग्न करें) -
09. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक -
10. क्या आपके विरुद्ध न्यायालय/स्थानीय थाने में प्रकरण दर्ज है/लंबित है (हाँ/नहीं) -
11. पत्राचार का पता -

(मो.नं.)

12. स्थायी पता -
-
-

13. यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र/बेयर फुट टेक्निशियन/महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी/में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
	 से
		(कुल अवधि)

14. क्या आप शासकीय/अर्द्ध शासकीय/अन्य संस्था में कार्यरत है (हाँ/नहीं) -
- (यदि हाँ तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

15. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र -

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन के लिए आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। मुझे यह पूर्णतः जानकारी है कि विज्ञापित आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन पूर्णतया अस्थायी एवं प्रोत्साहन स्वरूप है। जिसे शासन द्वारा कभी भी सेवा न लिये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

स्थान :-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :-

नाम -

नोट - आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखी जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. एम.ए.(ग्रामीण विकास)
4. बी.ई.सिविल/डिप्लोमा सिविल
5. अन्य अनुभव(अन्य जो विज्ञापन में निर्दिष्ट हों)
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र
7. छ.ग.निवासी प्रमाण पत्र।
8. आधारकार्ड नंबर।